...यालय उपखण्ड ....अधिकारी.......... कठूमर जिला अलवर

2/36/2020 .... तारीख रजू..........................

रामचरण वगैरा **बनाम** जग्गू बगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05[redacted].06.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को ज़र्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराज़ी ख0 नं0 2307,2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2448, 2449, 2450, 2451, 2456, 2457,वाके ग्राम मसारी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 28.07.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 28.07.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	DN 53 11/6/20
28/7/21	कुप्राय करोना एस०/P.O. ग्रस्त ...Covid-19....। पत्रावली दिनांक 11-1-21 को पेश हो। 11-1-21	
11/1/21	वकील प्रार्थी .... उपस्थित। तामील आदेश दिनांक ..... 5-6-20 की पालना में पत्रावली वास्ते ..... [illegible] दिनांक ......25/1/2021...... को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
18.4.22	वकुलाय .... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 18/4/22 की पालना में पत्रावली वास्ते ... / [illegible] दिनांक 21/4/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी ... (अलवर)	
21.4.22	वकुलाय उभय अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से श्री सुभाषचन्द्र शर्मा एड० ने जवाब प्रा० पत्र पेश किया। श्रवण मि० किया। अप्रार्थी संख्या 9 ... जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस TI दिनांक 26/4/22 को पेश हो। S/d	
26.4.22	वकुलाय .... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 21.4.22 की पालना में पत्रावली वास्ते बहस TI दिनांक 28/4/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी ... (अलवर)	
~~...22~~	~~वकुलाय .... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 21.4.22 की पालना में पत्रावली वास्ते बहस TI~~ बाद आदेश ~~दिनांक 5/5/22~~ उपखण्ड अधिकारी ...	
28.4.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पत्रावली पर बहस वकुलाय सुनी गई। अतः प्रार्थना पत्र आज्ञालान? स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता फैसला दावा अग्रिम? कार्यवाही निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली एक तरफा आदेश दिनांक 8.6.2020 बहाल? किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर श्रवण मि० किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर रहे। सुनाया। S/d उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

Summary S...
(अधिवक्ता/पी.पी./...
... अधिवक्ता बाबत सूचना
... का नाम
... / पी.पी. का नाम
बार रजिस्ट्रेशन ...
... कॉजलिस्ट में ...
...पराधिक मा...
अभियुक्त ...
रजिस्ट...
माम...

अहकाम जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/36/2020

बउनवान

1. रामचरण पुत्र मूली जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
2. छीतर पुत्र नन्नू जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
3. सुब्बी पुत्र घीसी जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
4. गणप्रत पुत्र घीसी जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
5. वीरसिंह पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर

5/1. धर्मेन्द्र पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर

5/2. कमलेश वेवा वीरसिंह जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर

5/3. सपना पुत्री वीरसिंह पत्नि हरगोविन्द जाति जाट नि0 न्यामदपुर तह0 वैर जिला भरतपुर।

6. सुन्दर पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
7. हितेश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
8. ललतेश पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
9. रामदेई पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर जिला अलवर।

—————— सायलान

बनाम

1. जग्गू पुत्र चेती जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
2. बलजीत पुत्र चेती जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर

2/1. दौलत पुत्र बलजीत जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर

2/2 मोहनसिंह पुत्र बलजीत जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर

2/3. जागेन्द्र पुत्र बलजीत जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर

2/4. परभाती वेवा बलजीत जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

2/5. विमला पुत्री बलजीत पत्नि कुंवरपाल जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदवई जिला भरतपुर।

3. भजनसिंह पुत्र रघवीर जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
4. श्रीचन्द पुत्र रघवीर जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
5. थानसिह पुत्र रघवीर जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
6. अमरसिंह पुत्र रघवीर जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
7. महीलाल पुत्र रघवीर जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
8. विजयसिंह पुत्र रघवीर जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
9. सव रजिस्ट्रार कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री रामजीलाल शर्मा मानसिंह चौधरी

श्री अखयसिंह गुर्जर – अधिवक्तागणसायलान की ओर से

श्री सुभाशचन्द शर्मा अधिवक्ता गैरसायलान की ओर से

आदेश

दिनांक 28.04.2022

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2307, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2448, 2449, 2450, 2451, 2456, 2457 ग्राम मसारी तहसील कठूमर में स्थित है उपरोक्त विवादित आराजी सायल सं0 1 के 1/4 हिस्सा सायल सं0 2 के 1/4 हिस्सा सायल सं0 3 के 1/12 हिस्सा सायल संख्या 4 के 1/12 हिस्सा सायल सं0 5 ता0 9 के 1/12 हिस्सा व शेष गैरसायलान की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। सायलान एंव गैरसायलान के आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायलान एंव गैरसायलान के मध्य

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायलान ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज हैं गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का राजी खुसी तकासमा नहीं करायेगें और तुम्हें विवादित आराजी पर तुम्हें तुम्हारे हिस्से पर भाामलात में का त नही करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवां आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों मैं संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायलानने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य गलत एंव मिथ्या दर्ज कराये है सायलान का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। विवादित आराजी गैरसायलान की पैत्रिक आराजी है। जिस पर गैरसायलान अर्सा करीब 40 साल से काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर गैरसायलान की काश्त है उक्त आराजी गैरसायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी से सायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते है। सायलान के विवादित आराजी का तकासमा कराने का अधिकार नहीं है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सायलने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम मसारीकी सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायल के शामलात काश्त करने में बाधा पैदा करते है तथा अवट आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी गैरसायलान की पैत्रिक आराजी है। जिस आराजी से सायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान ने तथ्यों को छुपाकर मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गैरसायलान द्वारा प्रस्तुतजवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए जमाबन्दी हाल पेश की हैं। जिसके अवलोकन से विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है लेकिन गैरसायलान ने विवादित आराजी पैत्रिक आराजी होना व सायलान का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होना कथन किया है। लेकिन हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी वावत सायलान के नाम दर्ज खातेदारी में दर्ज है तथा विवादित आराजी पैत्रिक हो व सायलान का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हो इस तरह का गैरसायलान ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अतः विवादित आराजी का सायलान एंव गेरसायलान की शामलात खातेदारी की होने का अनुमान किया जाता है। सायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। हिस्सानुसार सायलान का विवादित आराजी पर कब्जा प्रतीत होता है।यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गेरसायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर लोगों को रहन वय कर देगें या सायलान के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करेगें। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन करने पर सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहे है।प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 2307, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2448, 2449, 2450, 2451, 2456, 2457 ग्राम मसारी तहसील कठूमर के मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 05.06.2020 कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 28.04.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)